न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 33/2025 GCMS NO 2025/60

लखन पुत्र श्योप्रसाद जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. श्योप्रसाद पुत्र जगन्या जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
2. छुटटन पुत्र श्योप्रसाद जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
3. आशा देवी पत्नि छुटटन जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 54/2023 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.3.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रैस्पो0 श्री भानु कुमार सिंहल

दिनांक 13.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.3.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी, दुरूस्ती इन्द्राज ,हुक्मइम्तनाई दवामी व विभाजन भूमि इस आशय का पेश किया कि ग्राम विनेगा तहसील गंगापुर सिटी मे आराजी साबिक ख0न0 43 रकबा 14 विस्वा, 85 रकबा 6 विस्वा, 175 रकबा 8 विस्वा, 248 रकबा 2 बीघा, 328 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 350 रकबा 7 विस्वा, 364 रकबा 4 विस्वा, 390 रकबा 11 विस्वा, 407 रकबा 4 विस्वा, 599 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 686 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, 699 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 701 रकबा 11 विस्वा, 706 रकबा 14 विस्वा, 757 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 776 रकबा 9 विस्वा, 797 रकबा 9 विस्वा, 826 रकबा 15 विस्वा, 833 रकबा 1 विस्वा, 840 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 854 रकबा 12 विस्वा, 857 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 874 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, 884 रकबा 3 विस्वा, 890 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 1012 रकबा 19 विस्वा, 1017 रकबा 6 विस्वा, 1058 रकबा 1 विस्वा, 1059 रकबा 18 विस्वा, 1066 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, 1073 रकबा 8 विस्वा, 1074 रकबा 1 विस्वा, 1112 रकबा 6 विस्वा, 1119 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 1120 रकबा 5 विस्वा, 1178 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, 1021 रकबा 17 विस्वा, कुल किता 37 कुल रकबा 34 बीघा 12 विस्वा स्थित रहा है। जिसका इन्द्राज खातेदारी जगन्या व प्रभू पिसरान गुजरा मीना साकिन देह के नाम खतौनी सम्वत 2003 लगायत 2022 मे दर्ज रहा है। भूमि एकीकरण सबंत 2017 मे आराजी ख0न0 55 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा, 215 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 288/1 रकबा 8 बीघा 15 विस्वा, 288/2 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा कुल किता [illegible] रकबा 18 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम विनेगा तहसील गंगापुर सिटी की तन्हा इन्द्राज [illegible] जगन्या मीना के नाम दर्ज रही है। खतौनी भूमि एकीकरण सवंत 2017 में आराजी ख0न0 [illegible]2 रकबा 1 विस्वा [illegible]किन चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ग्राम विनेगा की इन्द्राज खातेदारी श्योप्रसाद बल्द जगन्या ,प्रभू पुत्र गुजरया मीना के नाम रही है। उक्त भूमि के हाल बंदोवस्त मे नवीन ख0न0 192/0.27,193/0.31,194/0.20, 195/0.17,197/0.02, 198/0.07, 199/0.06, 416/0.10, 417/0.04, 425/0.02, 426/0.24, 430/0.05, 431/0.05, 442/0.54, 444/0.13, 457/0.10, 461/0.23, 499/0.24,500/0.22 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 3.06 है0 का इन्द्राज खातेदारी तन्हा श्योप्रसाद पुत्र जगन्या मीना निवासी बिनेगा के नाम जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 दर्ज है। आराजी हाल बंदोवस्त ख0न0 421 रकबा 0.09 है0 424 रकबा 037 है0, 445 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम विनेगा का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी न0 3 आशादेवी के नाम पूर्णरूपेण दर्ज है। उक्त भूमि एनसेस्ट्रल पैतृक व बुजुर्गो को रही है। जिसको कि खिलाफ कानून व कायदा प्रतिवादी न0 1 ने प्रतिवादी 3 के हक मे दिनांक 12.6.13 को बयनामा करा जो कि वहक वादी बोईड व इनइफैक्टिव व हकूक वादी पर बेअसर है। आराजी हाल बंदोबस्त ख0न0 443 रकबा 0.47 है0 459 रकबा 0.15 है0 , 460 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है0 का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी न0 3 आशोदेवी के नाम पूर्णरूपेण गलत दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक व बुजुर्गो की रही है। जिसको खिलाफ कानून कायदा प्रतिवादी न0 1 ने प्रतिवादी न0 3 के हक मे दिनांक 13.2.17 को बयनामा करा यिा जो बहक वादी बोईड एवं इनइफैक्टिव व हकूक वादी पर बेअसर है। भूमि मुतवादिया पैतृक रही है। जिसका इन्द्राज खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2003 लगायत 2022 मे जगन्या व प्रभू पिसरान गूजरा के नाम दर्ज रहा है। भूमि एकीकरण संवंत 2017 मे उक्त भूमि 18 बीघा 6 विस्वा का इन्द्राज खातेदारी तन्हा वादी के पिता के नाम रहा है। उक्त भूमि सम्वत 2003 लगायत 2022 से प्रभू के नाम वक्त एकीकरण मे अलग खाता कायम करके अलग जमीन दे दी गई इस प्रकार प्रभू के वारिसान का भूमि मुतवादिया से कोई संबंध नही है ना ही रहा है। प्रतिवादी न0 1 ने बनयीत बदनियती उक्त भूमि मे से प्रतिवादीया न0 3 को खिलाफ कानून व कायदा हाल ख0न0 421 रकबा 0.09, 424 रकबा 0.37, 445 रकबा 0.18 है0 का बयनामा दिनांक 12.6.13 को खिलाफ कानून कर दिया। प्रतिवादी न0 1 प्रतिवादिया न0 3 का ससुर लगता है व प्रतिवादी न0 2 की बहू है। प्रतिवादी न0 3 का भूमि मुतवादिया पर कब्जा नही है। विला कब्जा प्रतिफल राशि विला नैसेसिटी के बयनामा खिलाफ कानून व कायदा होने से हकूक वादी बेअसर है। प्रतिवादी न0 1 ने बदनियती पूर्वक उक्त भूमि पैतक मे से प्रतिवादी न0 3 को खिलाफ कानून कायदा बेचान किया है। जबकि भूमि मुतबादिया पर प्रतिवादी न0 3 का कब्जा नही है। उक्त भूमि पैतृक है। मीना जाति मे वमौजूदगी मेल मेम्बर पुरूष के फीमेल मेम्वर को अधिकार नही है। यह निर्विवाद है। भूमि पैतृक है जिसका राजस्व रिकार्ड भी वादी ने पेश किया है। विवादित आराजीयात का बंटवारा कराने की प्रतिवादीगण से कई मर्तवा कहने के बाबजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा नही कराया गया एवं बिना बंटवारा कराये ही भूमि का बेचान किया गया है। अतः उक्त भूमि मुतवादिया का वादी एवं प्रतिवादीगण न0 1 व 2 के मध्य मौके एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादी न0 3 के पक्ष मे किये गये बयनामे का निरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त [illegible] किसी प्रकार की माने मजाहमत नही करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा भूमि को रहन बय न करे [illegible] प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही गई [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:43:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न0 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलाट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतो पर गौर नही कर निर्णय पारित करने मे विधि की भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि पैतृक भूमि मे अपने हको की घोषणा के संबंध मे व पैतृक भूमि के कराये गये विक्रय पत्रो को वादी के हिस्से तक प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी श्योप्रसाद की पैतृक भूमि है। जो उनके बाबा जगन्या पुत्र गुजरया से प्राप्त हुई है। श्योप्रसाद को जो भूमि जगन्या से विरासत मे प्राप्त हुई है उसमे वादी हिस्सा 1/3 का कोशेयेरर है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.6.13 एवं 13.2.17 जो श्योप्रसाद ने पैतृक भूमि मे से आशा देवी के हक मे रजिस्टर्ड कराये है उनको वादी अपना हिस्सा 1/3 तक प्रभावशून्य घोषित कराने का अधिकारी है। उक्त दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को सम्पूर्ण निरस्त कराने की इस्तदुआ नही चाही गई ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की स्टेज पर खारिज नही किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर वाद पत्र को खारिज किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ को दावा सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे मुख्य रिलीफ यह चाही गई थी कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हक मे जो दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.6.13 व 13.2.17 निष्पादित किये गये है उनको निरस्त कराना चाहता था। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को निरस्त एवं नल एण्ड बाईड घोषित करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। उक्त विक्रय पत्रो की जानकारी वादी को पूर्व सही रही है कानूनन रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के तीन वर्ष के अन्दर ही निरस्त कराया जा सकता है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा नही है। वादी अपने परिवार सहित सपोटरा मे रहकर निवास करता है। विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि के अनुरूप है एवं उसमे किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी, दुरूस्ती इन्द्राज ,हुक्मइम्तनाई दवामी व विभाजन भूमि पेश किया गया था। विवादित आसजीयात को वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा श्योप्रसाद की पैतृक भूमि माना है। श्योप्रसाद को जो भूमि जगन्या से विरासत मे प्राप्त हुई है उसमे वादी का हिस्सा निहित है। जिसकी घोषणा हेतु वाद पेश किया गया था। श्योप्रसाद द्वारा पैतृक भूमि मे से आशा देवी के हक मे दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराये गये है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मात्र यह तथ्य अंकित किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होना मानकर वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार खारिज किया है। जबकि वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र मे चाही गई अन्य रिलीफ के संबंध मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया है। कानूनन दावे का निस्तारण वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर तथा तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन किया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही कर सीधे ही प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को वाद पत्र मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 54/23 निर्णय व डिकी दिनांक 24.3.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को वाद पत्र मे साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 15.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner